बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

संचिका सं0–नि0को0 पश्चिम चम्पारण(बेतिया)–2–04/2018–.....(नि0को0)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

1. समाहर्त्ता पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक–3649/रा0 दिनांक– 21.12.2017 द्वारा श्री अमर नाथ तत्कालिन अंचल अधिकारी, भितहाँ, पश्चिम चम्पारण सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध आरोप पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में श्री अमर नाथ के विरूद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये यथा अंचल अधिकारी, भितहाँ के पत्रांक–317 दिनांक–19.08.2015 से प्राप्त विविध वाद संख्या–3/2013–14 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मो0 हसन, साकिन–नैनाहा द्वारा पुरानी बन्दोवस्त जमीन जो नदी द्वारा काटने के फलस्वरूप पुनः जमाबन्दी कायम कर रसीद काटने से संबंधी आवेदन पत्र पर श्री नाथ द्वारा दिनांक–11.09.2013 को राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0 से प्रतिवेदन की माँग की गई। राजस्व कर्मचारी ने अपने प्रतिवदेन (25.10.2013) में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि बेतिया स्टेट मातहत कोर्ट ऑफ वार्डस का बन्दोवस्ती पट्टा सन् 1356 एवं बेतिया राज का पुराना मालगुजारी रसीद के आधार पर मौजा–सेमरवारी, थाना न0–276 में कायम कुल 105 बिगहा जमीन का जमाबन्दी को चालू किया जा सकता है। राजस्व कर्मचारी के जाँच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख है कि प्रश्नगत खाता संख्या–07, खेसरा संख्या–615, 621, 622 सर्वे खतियान में गैर मजरूआ मालिक किस्म "नारायणी नदी, बालू रेता एवं झउवा" करके दर्ज है। साथ ही नदी के कटाव के कारण जमीन इधर–उधर हो गई है। राजस्व कर्मचारी ने अपने प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख नहीं किया है कि पूर्व में किस रैयत के नाम से कितनी भूमि की जमाबन्दी चलती है तथा पुरानी जमाबन्दी संख्या क्या है ? तथा मौजा–सेमरवारी, थाना न0–276, खाता संख्या–07 के अर्न्तगत खेसरा न0–615, 621, 622 का कुल खतियानी रकबा क्या है ? तथा चालू किये जाने वाले जमाबन्दी से संबंधित जमीन की चौहद्दी क्या है ? प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा भी बिना स्थलीय एवं राजस्व कागजात से जाँचोपरांत राजस्व हित में आवेदक के पक्ष में जमाबन्दी कायम कर लगान रसीद निर्गत करने की अनुशंसा (25.10.2013) की है। वास्तविक्ता यह है कि राजस्व कर्मचरी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा पुरानी जमाबन्दी चालू करने की नहीं बल्कि बिल्कुल नई जमाबन्दी सृजन करने के उदेश्य से अनुशंसा की गई थी।

राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवदेन के आधार पर प्रश्नगत जमीन का भौतिक सत्यापन नहीं करना एवं बेतिया राज के सन्–1356 के बन्दोवस्ती पट्टा तथा पुराना मालगजारी रसीद का सत्यापन व्यवस्थापक, बेतिया राज, बेतिया से कराये बिना एवं सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त किये बिना इतना बड़ा भू–खण्ड 105 बिगहा की जमाबन्दी को चालू करने का आदेश प्रदान करना अंचल अधिकारी, भितहाँ के पदीय दायित्व के प्रति घोर लापरवाही एवं राजस्व कर्मचारी तथा प्रभारी अंचल निरीक्षक, भितहाँ अंचल के साथ संलिप्त होकर निजी स्वार्थवश किया गया यह कृत कुटरचना, भ्रष्ट आचरण तथा फर्जीवाड़ा को प्रमाणित करता है।

2. उपरोक्त आरोपों के विभागीय समीक्षोंपरान्त विभागीय पत्रांक–176(नि0को0) दिनांक–23.02.2018 से आरोपी को अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। आरोपी द्वारा उनके आवेदन दिनांक–12.04.2018 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

आरोपी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं आरोप पत्र पर सम्यकपूर्वक विचारोंपरान्त विभागीय पत्रांक–510(नि0को0) दिनांक–14.06.2018 से बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम–139(ग) एवं उपनियम–2 के तहत पेंशन एवं उपदान राशि कटौती के संबंध में विभाग को 15 दिनों के अन्दर अभ्यावेदन समर्पित करने हेतु श्री अमर नाथ को निदेशित किया गया। उक्त विभागीय पत्रांक के आलोक में श्री अमर नाथ द्वारा उनके आवेदन दिनांक–30.06.2018 से विभाग को अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

3. आरोपी द्वारा अपने अभ्यावेदन में कहा है कि उनके द्वारा एक न्यायालय की हैसियत से आदेश पारित किया गया है तथा दिनांक–29.10.2013 का आदेश हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन एवं अंचल निरीक्षक के पृष्ठांकन के आधार पर पारित किया गया है। उनका यह भी कहना है कि उनके विरूद्ध पेंशन नियमावली के नियम–43 (ख) के तहत विभागीय कार्यवाही चल रही है, अंतिम आदेश लंबित है। प्रस्तुत आदेश दिनांक–29.10.2013 का चार वर्ष दिनांक–29.10.2017 को पूरा हो गया है, इसलिए नियम–43(ख) के तहत यह मामला कालबाधित है। उल्लेखनीय है कि वर्त्तमान मामले में आरोपी का अभ्यावेदन पेंशन नियमावली के नियम–139 (ग) एवं उपनियम–2 के तहत माँगी गयी है।

श्री अमरनाथ के विरूद्ध नियम–43(ख) के तहत कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है, बल्कि उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0–1042 दिनांक–29.09.2016 द्वारा बिहार पेशन नियमावली के नियम –43(ख) के सम्परिवर्तित विभागीय कार्यवाही में 25 प्रतिशत पेंशन कटौती का दण्ड अधिरोपित है, जिसके विरूद्ध श्री अमरनाथ द्वारा याचिका संख्या–9696/17 माननीय उच्च न्यायालयस में दायर भी किया है। उक्त याचिका में विभाग की ओर से प्रतिशपथ पत्र दायर है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिला पदाधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता, सीतामढ़ी को प्रतिशपथ दायर करने का निदेश दिनांक–12.04.2018 के आदेश से दिया है, जिसके आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक–396 (नि0को0), दिनांक–16.05.2018 द्वारा समाहर्त्ता, सीतामढ़ी को सूचित भी किया है। इस तरह आरोपी का कथन सत्य नहीं है।

4. श्री अमरनाथ, द्वारा बेतिया राज के मौजा–सेमरवारी, बगहा, थाना न0–276, स्थिर खाता न0–07, खेसरा न0–615, 621, 622, जिसका कुल रकबा–105 बिघा जमीन की जमाबंदी अवैध रूप से सन्–1356 का एक तथाकथित बंदोबस्ती पट्टा के आधार पर कायम कर बेतिया राज को क्षति पहुँचायी गयी है। इस तथाकथित बंदोबस्ती का कोई उल्लेख बेतिया राज के बंदोबस्त पंजी में नही है तथा कथित पट्टा की सच्ची प्रतिलिपि पर बेतिया राज के किसी भी सक्षम पदाधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर नहीं है, जैसा कि व्यवस्थापक, बेतिया राज के ज्ञापांक–299 दिनांक–24.09.2018 से स्पष्ट है।

इनके द्वारा बेतिया राज के 105 बिगहा जमीन की जमाबंदी बिना निर्धारित प्रक्रिया अपनाये तथा बिना सक्षम आदेश के खुलवा दिया है, जो गंभीर मामला है।

5. व्यस्थापक, बेतिया राज, बेतिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री अमर नाथ से प्राप्त अभ्यावेदन एवं स्पष्टीकरण के विभागीय समीक्षोंपरान्त आरोपी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित पाया गया।

इस पदाधिकारी के विरूद्ध एक अन्य मामले में 25 प्रतिशत पेंशन कटौती का दण्ड अधिरोपित किया गया है। इसलिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक समीक्षोपरान्त उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139(ग) एवं उपनियम–2 के तहत उक्त **25 प्रतिशत**

पेंशन कटौती के अतिरिक्त "कुल पेंशन में से 50 (पचास प्रतिशत) कटौती" करने का दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया गया है।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अमर नाथ तत्कालिन अंचल अधिकारी, भितहाँ, पश्चिम चम्पारण(बेतिया) सम्प्रति सेवानिवृत्त को उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139(ग) एवं उपनियम–2 के तहत **उक्त 25 प्रतिशत पेंशन कटौती के अतिरिक्त "कुल पेंशन में से 50 (पचास प्रतिशत) कटौती"** करने का दण्ड संसूचित किया जाता है, जो आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश में सक्षम प्राधिकार/विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(प्रवीण कुमार झा)
सरकार के विशेष सचिव।

निबंधित/ई–मेल

ज्ञापांक– **नि0को0 समस्तीपुर–6002/2008–** (नि0को0)/रा0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, पश्चिमी चम्पारण(बेतिया)/कोषागार पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण(बेतिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि संकल्प की प्रति अपने स्तर से श्री अमर नाथ तत्कालिन अंचल अधिकारी, भितहाँ, पश्चिम चम्पारण सम्प्रति सेवानिवृत्त को तामिला कराने की कृपा करेंगे।

ह०/–
(प्रवीण कुमार झा)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– **नि0को0 समस्तीपुर–6002/2008–** (नि0को0)/रा0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सहायक निदेशक (भू–अर्जन), प्रभारी प्रशाखा–3, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(प्रवीण कुमार झा)
सरकार के विशेष सचिव।

निबंधित

ज्ञापांक– **नि0को0 समस्तीपुर–6002/2008–** (नि0को0)/रा0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि :– श्री अमरनाथ, तत्कालीन अंचल अधिकारी, भितहॉ, सम्प्रति सेवानिवृत्त, पिता–श्री ठाकुर प्रसाद, साकिन–लकड़ी ढाई चौक के उत्तर, शिवपुरी मोहल्ला, मुजफ्फरपुर, पो0–प्रधान डाकघर, मुजफ्फरपुर,नगर थाना–मुजफ्फरपुर, पिन–842001 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(प्रवीण कुमार झा)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– **नि0को0 समस्तीपुर–6002/2008–** 978 (नि0को0)/रा0, पटना–15, दिनांक– 27/11/18

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(प्रवीण कुमार झा)
सरकार के विशेष सचिव।